19

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0 ....519........./2016–17

वाद का प्रकार ... बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

818|16 झारखंड सरकार के पत्रांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-3–रा0न0समिति–19/85/2304/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–314/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा ...लावनापुर............ थाना नं0 ...183... जमा0सं0 ...35ज...

खाता सं0.............................. प्लॉट सं0.............................. रकबा 0.276

एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II पर जमाबंदी रैयत ...[illegible]...

...[illegible]...

के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध जोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक ...29/8/16...... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

2/8/16

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

D:\Nitai\Ajit Doc\Jamabandi radh abhilekh 14

~~18/8/18~~
6/4/18 अभिलेख उपस्थापित। उपरोक्त भूमि के संबंध में जमाबन्दीदार को उक्त भूमि से संबंधित कागजातों के साथ दिनांक 29.03.18 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में जमाबन्दीदार की ओर से उनका भतीजा द्वारा उपस्थित होकर वर्ष 84 का केवल एक लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया है जो उनके उक्त भूमि के दावे हेतु पर्याप्त नहीं है। तथा पुनः संबंधित रा० कर्म० एवं प्र० अं० नि० ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद रकबे की भूमि है, जो पंजी II के जमाबन्दी सं० 357 में ठेलू सिंह पिता आशु सिंह का नाम अंकित है तथा उक्त पंजी II में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है। पंजी II की प्रति तथा रा० कर्म० का जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है, तथा रा० कर्म० ने उक्त जमाबन्दी को रद्द करने का अनुशंसा किया है।

अतः जमाबन्दीदार को एक मौका देते हुए अन्तिम नोटिस निर्गत कर उक्त भूमि के दावे से संबंधित किसी ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति की मांग करें तथा अभिलेख दिनांक 20.04.18 को रखें।

[signature] 06.04.18
अंचल अधिकारी
[illegible]पुर

20/4/18 अभिलेख उपस्थापित। जमाबन्दीदार की ओर से उनके भतीजे द्वारा उपस्थित होकर वर्ष 84 का केवल एक लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया है। सुनवाई के दौरान उनके भतीजे द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त और कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त जमाबन्दी अवैध तरीके

से कायम की गयी है।

अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

[illegible]
30.04.18
अंचल अधिकारी
बलियापुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)।

वाद अभिलेख संख्या- 519 /2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), BLR Act 1950)

सूचना

बनाम् दैत सिंह
पिता- आशु सिंह
सा.- बलियापुर

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बलियापुर मौजा नं0- 183 प्लॉट नं0..........
खाता नं0.......... रकबा 0.127 ए० से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 VII के राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ~~26/08/16~~ 29/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबन्दी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

जिन्दु सिंह
26/8/16

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।
9/8/16

तामिला चौकीदार
चौ० 94
27/8/16

D:\Nalin\Sam Doc\Court matter